उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-1
संख्या-12/572/26-1-2014-13(01)/2012
लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2014
अधिसूचना/आदेश

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 की धारा-4 की उपधारा (1) एवं सपठित संशोधन अधिनियम, 2001, सपठित संशोधन अधिनियम, 2002 तथा सपठित संशोधन अधिनियम, 2007 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में श्री रामदुलार राजभर, ग्राम-करनपुर, पोस्ट-चण्डेसर, जनपद आजमगढ़ को अध्यक्ष के पद पर उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-12/572(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- श्री रामदुलार राजभर, ग्राम-करनपुर, पोस्ट-चण्डेसर, जनपद आजमगढ़(मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, लखनऊ)।
3- मा0 उपाध्यक्ष, उ0प्र0 अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, लखनऊ।
4- मा0 सदस्यगण, उ0प्र0 अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, लखनऊ।
5- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
10- प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
12- सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- सचिव, उ0प्र0 अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, लखनऊ।
14- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
15- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
16- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
17- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
18- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
19- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त आदेश की प्रति असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
20- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in